<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 381 / 17</u> संस्थापन दिनांक:--05 / 12 / 11 फायलिंग नं. 956 / 17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- मनीराम पिता भैय्यालाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी बिच्छुखान, थाना आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- रुसीलाल पिता भंग्गु यादव,
 उम्र ४० वर्ष, निवासी जमदेहीकला,
 थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 05.12.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त मनीराम के विरूद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.11.2017 को समय 07:30 बजे स्थान ग्राम खारी स्थित बिच्छूखान घाट के पास मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमए—8846 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त मोटर सायिकल को बिना लाईसेंस एवं बीमा के चलाया एवं अभियुक्त रूसीलाल पर धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.11.2017 को समय 07:30 बजे स्थान ग्राम खारी स्थित बिच्छूखान घाट के पास मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमए—8846 को बिना अनुज्ञप्ति धारक मनीराम को चलाने को दिया एवं उक्त मोटर सायिकल बिना बीमा के चलवाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 12.11. 2017 को अपनी मोटर सायकिल से अपनी मां भागवती एवं लड़की सीमा को लेकर खारी गयावानी आ रहा था। तभी बिच्छूखान घाट के पास सामने से मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमए—8846 के चालक मनीराम ने उसकी मोटर सायकिल तेज व लापरवाही से चालाकर उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मार

दी जिससे वे तीनों गिर गये। उसकी मम्मी भागवती एवं लड़की सीमा को मामूली चोटें आयी तथा उसे दांहिने पैर में पिंढली में चोट लगी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमए—8846 के विरूद्ध अपराध क. 579/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमए—8846 मय मूल रजिस्ट्रेशन के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। आहत रामकिशोर को अस्थिमंग पाये जाने से एवं अभियुक्त के पास झ्रायविंग लायसेंस न होने से अभियुक्त मनीराम के संबंध में अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम एवं अभियुक्त रूसीलाल के विरूद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी रामिकशोर का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त मनीराम को धारा 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त मनीराम के विरूद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/181, 146/196 एवं अभियुक्त रूसीलाल के विरूद्ध लगे धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त मनीराम ने मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमए—8846 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त मनीराम ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
- 3. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त रूसीलाल ने अपनी मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमए—8846 को बिना अनुज्ञप्ति धारक मनीराम को चलाने को दिया एवं उक्त

मोटर सायकिल को बिना बीमा के चलवाया ?

4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

रामकिशोर (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना पीछले माह की बिच्छुखान घाट के पास की है। घटना के समय वह अपनी मोटर सायकिल से अपनी मम्मी भागवती एवं लड़की सीमा को लेकर खारी गयावानी आ रहा था। तभी रास्ते में बिच्छुखान घाट के पास सामने से एक गाडी आयी जिसे देखकर उसकी गाडी अनबेलेंस होकर गिर गयी जिससे वे तीनों गिर गये थे और गिरने से उसकी मां एवं लडकी को मामुली चोटें आयी थी तथा उसे दांहिने पैर की पिंढली में चोट लगी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाने में दर्ज करवायी थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना दिनांक को बिच्छूखान घाट पर अभियुक्त ने अपनी मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमए-8846 को तेज व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दी थी। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि सामने से मोटर सायकिल आती देखकर उसकी गाड़ी अनबेलेंस होकर गिर गयी थी और गिरने से उसे चोट आयी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त ने उसकी मोटर सायकिल से उसे टक्कर नहीं मारी थी। इस प्रकार साक्षी रामिकशोर (अ.सा.-1) ने घटना दिनांक को कथित मोटर सायिकल अभियुक्त द्व ारा चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

7 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मनीराम के द्वारा मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमए—8846 को चलाया गया। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा कथिम मोटर सायकिल को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया गया तथा अभियुक्त रूसीलाल ने अपनी मोटर सायकिल को बिना लायसेंस धारी को चलाने को दिया। जब प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा कथित मोटर सायकिल को चलाया गया

तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा मोटर सायकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः अभियुक्त मनीराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं धारा 3/181, 146/196 तथा अभियुक्त क्तसीलाल को धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।
- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क. एमपी-48-एमए -8846 उसके पंजीकृत स्वामी अभियुक्त रूसीलाल पिता भंग्गु यादव को प्रदान की जावे।
- अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम[ं] श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)